तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स (एच0सी0)/एल.आर./3152/2006/डूंगरपुर** **सरकार बनाम धुला व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

श्री महेन्द्र लोढ़ा, सदस्य

उपस्थित :

श्री तेजेन्द्र सिंह, उप राजकीय अभिभाषक।
विपक्षी बावजूद सूचना उपस्थित नहीं, एकपक्षीय कार्यवाही।

--

आदेश

दिनांकः–18.09.2025

1. यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अंतर्गत 82 भू राजस्व अधिनियम 1956 में न्यायालय जिला कलक्टर, डूंगरपुर ने अपने आदेश दिनांक 28–12–2005 के द्वारा राजस्व मंडल को प्रेषित किया गया है।

2. रेफरेन्स प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि तहसीलदार डूंगरपुर ने रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर कथन किया कि तहसील डूंगरपुर स्थित राजस्व ग्राम देवपुरा में वर्तमान भू प्रबंध में आराजी खसरा संख्या 9 रकबा 15 बिस्वा कि किस्म भूमि नाला दर्ज थी। उक्त आराजी भू अभिलेखों में किस्म नाला दर्ज होने से आवंटन/नियमन/खातेदारी हेतु उपलब्ध नहीं होकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत वर्जित भूमि की श्रेणी में आती है। आवंटन/नियमन सलाहकार समिति द्वारा उक्त आराजी संख्या 9 में से 15 बिस्वा भूमि का नियमन श्री धुला पि0 लेम्बा एवं मेधा पि0 खेमा भील के पक्ष में दिनांक 15–11–77 को किया गया है जो जरिये नामांतरकरण संख्या 53 के रिकार्ड में दर्ज हुआ है नवीन बटा खसरा संख्या 248/9 कायम हुआ है। उक्त आवंटन/नियमन/नामांतरकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वर्जित भूमि बाबत्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>रेफरेन्स (एच0सी0)/एल.आर./3152/2006/डूंगरपुर</u>** **सरकार बनाम धुला व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	होने से प्रारंभि से ही शून्य एवं बेअसर ठहरता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व ग्राम देवपुरा की आराजी में किया गया नियमन रकबा 15 बिस्वा एवं इसके आधार पर स्वीकृत नामांतरकरण संख्या 53 को निरस्त फरमाया जावे। 3. न्यायालय जिला कलक्टर, डूंगरपुर ने उक्त रेफरेन्स प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया तथा अपने निर्णय दिनांक 28–12–2005 के द्वारा स्वीकार कर मण्डल को अभिषंशा हेतु प्रेषित किया है। 4. उक्त रेफरेन्स प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तत्पश्चात् अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया परन्तु बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। 5. हमने विद्वान राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी। 6. विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुये अभिकथन किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उदभूत नही होते हैं प्रश्नगत आराजी का हस्तान्तरण/आवंटन/नियमन अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। यह कि डी0बी सिविल जनहित याचिका सं0 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02–08–2004 के द्वारा नदी, नाले, जलाशय आदि की भूमि जो दिनांक 15–08–1947 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है को वापस सरकारी भूमि दर्ज करने एवं इसके बाद हुए परिवर्तन को अवैध घोषित किये जाने के निर्देश है। अतः रेफरेंस स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी पुनः राजस्व रिकोर्ड में गै0मु0 नाला राजकीय दर्ज करवाने के आदेश प्रदान	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>रेफरेन्स (एच0सी0)/एल.आर./3152/2006/डूंगरपुर</u>** **सरकार बनाम धुला व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	करावें। 7. हमने विद्वान राजकीय अभिभाषक की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के साथ नकल नक्शा ट्रेस संलग्न है। नकल जमाबंदी सम्वत् 2052–55 संलग्न है जिसके अनुसार खसरा संख्या 248/9 रकबा 15 बिस्वा भूमि धुला पि0 खेमा के नाम दर्ज रिकार्ड है। नकल नामांतरकरण संख्या 53 संलग्न है जिसके अनुसार उक्त भूमि का धूला व लेम्बा मेघा व खेमा भील के नाम दिनांक 15–11–77 को नियमन किया गया। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत आराजी पूर्व में गै0मु0 नाला भूमि थी जो बाद में अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी में दर्ज की गयी। 8– राजस्व विधियों एवं नियमों के अनुसार **''गै0मु0 तालाब/तलाई/नाला/नदी''** किस्म की भूमि ना तो आवंटन/नियमन योग्य है और ना ही ऐसी भूमि में किसी को खातेदारी अधिकार मिल सकते हैं। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 का नियम 4 (प) निम्न प्रकार हैः– "4. Land not available for allotment under these rules.- The following categories of lands shall not be available for allotment for agricultural purposes under these rules, namely- (i) Land mentioned in the section 16 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955" 9. इसी प्रकार से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधान निम्न प्रकार हैः– **16. Land on which Khatedari rights shall not accrue.-**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>रेफरेन्स (एच0सी0)/एल.आर./3152/2006/डूंगरपुर</u>** **सरकार बनाम धुला व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	Notwithstanding anything in this Act or in any other law or enactment for the time being in force in any part of the State Khatedari rights shall not accrue in- (ii)Land used for casual or occasional cultivation in the bed of river or tank; 10. प्रश्नगत भूमि पूर्व में **गै0मु0 नाला** की भूमि अंकित होने से उक्त आराजी धारा 16 अधिनियम, 1955 एवं राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम, 1970 के प्रावधानों के तहत आवंटन/नियमन से प्रतिबंधित आराजीयात है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार आदेश दिनांक 2–8–2004 में निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये हैंः– All land shown as drainage channels like nalla rivers, tributaries etc. as on 15-8-1947 should be declared as Government land. Any conversions made after 15-8-1947 should be declared illegal. The relevant act at rules must be amended accordingly. 11. उपरोक्तानुसार भी 15 अगस्त 1947 की राजस्व अभिलेख की स्थिति यथावत रखी जानी चाहिए। अतः इस प्रकार की स्थिति में न न्यायालय जिला कलक्टर, डूंगरपुर द्वारा मण्डल को प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में रेफरेन्स किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की गई	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>रेफरेन्स (एच0सी0)/एल.आर./3152/2006/डूंगरपुर</u>** **सरकार बनाम धुला व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	है। 12– परिणामस्वरूप रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर ग्राम देवपुरा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 9 रकबा 15 बिस्वा भूमि पर अप्रार्थीगण को दिनांक 15–11–77 को किया गया नियमन व उसके आधार पर दायर नामांतरकरण संख्या 53 निरस्त किया जाकर प्रश्नगत भूमि को पुनः गै0मु0 नाला दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। 13– इस आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली अविलम्ब लौटाई जावे तथा पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(डॉ महेन्द्र लोढ़ा)** **सदस्य**	